न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 180/2003 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2003/00051

उनवान

हरी सिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सनेही पुत्र सूखा } जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कल्यान पुत्र सूखा }
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई ।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 8.07.2003 प्रकरण संख्या 203/2001 उनवान सनेही बनाम कल्यान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई।

अभिभाषकगण :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–24.12.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय दिनांक 8.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/ रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 व दूसरा वाद वादी/अपीलाण्ट ने विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 पेश किये जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कन्सोलिडेट किये जाकर एक साथ निस्तारित किये गये हैं। तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 6 रकबा 13.17 बीघा वाके ग्राम बढा में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 2/3 गलत रूप से खातेदार दर्ज हो रखा है तथा शेष 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 02 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। विवादित समस्त आराजी पैतृक आराजी है जो वादी व प्रतिवादीगण को उनके पिता सूखा के मरणोपरान्त प्राप्त हुयी है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 बडे एवं कर्ताखानदान होने के कारण विवादित आराजी उनके नाम दर्ज हो गयी। प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने 1/3 हिस्से की आराजी जरिये डिक्री न्यायालय से प्राप्त कर ली है। अतः वादी विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा करा पाने का अधिकारी होता है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद अपीलाधीन आदेश मुताबिक राजीनामा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय बाबत् खसरा नम्बर 509/1.1 विधि एवं तथ्यो के विपरीत है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 509/1.1 में अपीलाण्ट 1/3 हिस्से के खातेदार कृषक काबिज हैं उसका नाम इस भूखण्ड से कलमजन करने का निर्णय देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। यह है कि खसरा नम्बर 509 के संबंध में अपीलाण्ट ने उत्तरवादीगण संख्या 01 व 02 के हक में कोई राजीनामा किसी भाग के संबंध में नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 509 पर दावा डिक्री कतई गलत किया है। क्योंकि काश्तकारी अधिकारो का हस्तान्तरण बिना पंजीकृत विलेख के नहीं किया जा सकता है इसलिये अपीलाण्ट का नाम खसरा नम्बर 509 से निरस्त कर उत्तरवादी संख्या 01 के नाम दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी त्रुटि की है। किसी मौखिक कथन से खातेदारी अधिकार समाप्त या हंस्तान्तरित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खसरा नम्बर 509 के संबंध में पारित निर्णय की हद तक निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को संवत 2012–15 प्रदर्श–13 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 के आलोक में पैतृक सम्पत्ति मानते हुये, विवादित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण को वहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार माना है। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान ने राजीनामा भी पेश किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से तस्दीक किया जाकर विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी को वहिस्सा बराबर 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है एवं खसरा नम्बर 512 अपीलाण्ट हरी सिंह की न्यारानूर खातेदारी में दर्ज होने के कारण उन्हें उक्त खसरा नम्बर पर तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं खसरा नम्बर 509 व 554 में वादी एवं प्रतिवादीगण को मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अपीलाण्ट की आपत्ति है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई राजीनामा नहीं दिया। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया। उक्त राजीनामा पर स्पष्ट तौर से अपीलाण्ट हरी सिंह के हस्ताक्षर मौजूद हैं एवं उक्त हस्ताक्षर प्रस्तुत अपील में किये गये हस्ताक्षरो से मेल खाते हैं। जहाँ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति कि राजीनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार स्थानान्तरित नहीं हो सकते। हम पाते हैं कि वादी/अपीलाण्ट द्वारा केवल एक खसरा नम्बर बाबत् आपत्ति पेश की गयी है जबकि विवादित शेष खसरा नम्बर में भी मुताबिक राजीनामा उनके बडे भाई के नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है; उक्त शेष खसरा नम्बरान बाबत् अपीलाण्ट मौन रहे हैं एवं उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गयी है। जबकि सम्पूर्ण विवादित आराजी मुताबिक राजीनामा उनके बड़े भाई के हिस्से से कलमजन होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 को स्थानान्तरित होकर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट स्वयं अपने

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

दावे में यह कथन करके आये हैं कि विवादित भूमि उन्हें उनके पिता सूखा से प्राप्त हुयी है एवं पैतृिक सम्पत्ति हैं। परन्तु उनके बडे भाई कर्ताखानदान होने के कारण समस्त विवादित आराजी उनके बडे भाई के नाम दर्ज हो गयी। अतः वादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी में 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी हैं। उक्त वाद में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी को पैतृिक सम्पत्ति मानते हुये, वादी एवं प्रतिवादीगण को मुताबिक राजीनामा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2003 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24-12-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 180/2003 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2003/00051
उनवानी :–

हरी सिंह पुत्र सूखा, जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

अपीलांटान————————

बनाम

1. सनेही पुत्र सूखा } जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. कल्यान पुत्र सूखा }
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई।

रेस्पोडेन्ट————————

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.07.2003 प्रकरण संख्या 203/2001 उनवान सनेही बनाम कल्यान, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई।

यह अपील .....**24**.....माह.....**12**.....सन्...**2021**.....व हमारे .....श्री महाराज सिंह डागुर एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट व़ पैरोकार रैस्पो0 अनुपस्थित. ..... समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2003 यथावत रखें जाते है।**
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**24**.....माह.....**12**.....सन्.....**2021**.....को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।